40 (3) सी पी एस ई में बोर्ड स्तर के पदों को समाप्त मान लिए जाने के बाद उनका पुनः सृजन

अधोहस्ताक्षरी को पूर्व लोक उद्यम ब्यूरो के तारीख 27 मई, 1975 के का. ज्ञा. सं. 5(30)75–बी पी ई (पी ई एस बी) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी बताया गया है, कि यदि कोई पद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए आस्थगित या रिक्त रहता है तो यह पद समाप्त माना जाएगा और यदि बाद में पद की आवश्यकता पड़ती है तो नए पद के सृजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तथापि यह देखने में आया है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और बोर्ड स्तरीय पदों को समाप्त मानने की बजाय उन्हें लम्बे अरसे से रिक्त रखा गया है।

2. अतः सरकार ने इस मामले पर विचार करके यह निर्णय लिया है किः–

(i) बोर्ड स्तर के जो पद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रिक्त हैं और जहाँ पी ई एस बी की चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है उन्हें समाप्त किया गया माना जाएगा।

(ii) यदि उस पद की बाद में आवश्यकता पड़ती है तो नए पद के सृजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संबंध में लोक उद्यम विभाग के तारीख 9.10.2000 का का. ज्ञा. सं. 9(15)99–जी एम–जी एल–29 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

(iii) तथापि, चूंकि कुछ पदों को विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण आस्थगित किया गया था इसलिए अधिकतम 4 वर्ष या 31 मार्च, 2000 तक, जो भी पहले हो, एक बार के लिए आस्थगन अवधि में छूट उन पी एस ई के लिए स्वीकार्य है जो विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत लिए गए हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते समय उपर्युक्त निर्णयों का पालन करें और भविष्य में भी इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। उपर्युक्त निर्णय के कारण समाप्त माने गए पदों की सूची भी डी पी ई, पी ई एस बी और डी ओ पी टी को तत्काल भेजी जाए।

(डी पी ई का 21 अक्टूबर, 2005 का का.ज्ञा.सं. 18(13)/2005 जी एम–जी एल–74)